



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032025-261924
CG-DL-E-24032025-261924

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]
No. 237]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2025/चैत्र 3, 1947
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2025/CHAITRA 3, 1947

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2025

फा. सं. CEA-PS-12-13/3/2022- PSPA-II Division.—1. राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) (अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में) ने विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 63 के तहत बनाई गई पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 और विद्युत मंत्रालय के कार्यालय आदेश दिनांक 28.10.2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे तालिका में उल्लिखित राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित पारेषण योजना को अधिसूचित किया था।

क्रम. सं.	पारेषण योजना का नाम	राजपत्र अधिसूचना जिसके द्वारा पारेषण योजना अधिसूचित की गयी थी
1	भुज-II पीएस (जीआईएस) में परिवर्तन क्षमता का विस्तार	दिनांक 23.01.2024 [फा.सं. CEA-PS-12-13/3/2022- PSPA-II Division]

2. अब, राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) ने 06.02.2025 को 27वीं बैठक में उपरोक्त योजना को विनियमित टैरिफ तंत्र मोड के तहत कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। अतः एतद्वारा उक्त योजना को इसके कार्यक्षेत्र सहित अन-अधिसूचित किया जाता है।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1095/2024-25]

**CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY
NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th March, 2025

F. No. CEA-PS-12-13/3/2022-PSPA-II Division.—1. In exercise of the powers conferred by Para 3.2 of the Tariff Based Competitive Bidding Guidelines for Transmission Services framed under Section 63 of the Electricity Act, 2003 (no. 36 of 2003) and Ministry of Power office order dated 28.10.2021, National Committee on Transmission (NCT) headed by Chairperson, Central Electricity Authority had notified following transmission scheme for implementation under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) vide Gazette Notification mentioned in below table:-

Sr. No.	Name of Transmission Scheme	Gazette Notification by which Transmission Scheme was notified
1	Augmentation of transformation capacity at Bhuj-II PS (GIS)	Dated 23.01.2024 [F. No. CEA-PS-12-13/3/2022-PSPA-II Division]

2. Now, the National Committee on Transmission (NCT) has approved the implementation of the above scheme under Regulated Tariff Mechanism mode in the 27th meeting held on 06.02.2025. As such, the above scheme including its scope is hereby de-notified.

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./1095/2024-25]